

छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 8/10/2009

क्रमांक 6946/डी-2402/21-ब/छ.ग./2009 - राज्य शासन, एतद द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 759/II-2-2/2007/गोप./2009 बिलासपुर दिनांक 07.10.2009 के अनुपालन में श्री शैलेश कुमार तिवारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कोण्डागांव जिला बस्तर (जगदलपुर) की सेवायें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर से वापस लेकर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को सौंपता है तथा उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थायी लोक अदालत, जगदलपुर के चेररमेन के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(आर.एस. शर्मा)

प्रमुख सचिव

छ.ग.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

पु.क्र. 6947/डी-2402/21-ब/छ.ग./09  
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक 8/10/2009

1. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को उनके ज्ञापन क्रमांक 759/II-2-2/2007/गोप./2009 बिलासपुर दिनांक 07.10.2009 के संदर्भ में,
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर
4. श्री शैलेश कुमार तिवारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कोण्डागांव जिला बस्तर (जगदलपुर)
5. निज सचिव, मान. विधि मंत्री को मान. विधि मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ,
6. निज सहायक, प्रमुख सचिव विधि, को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ,
7. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

(आर.के.तिवारी)

अतिरिक्त सचिव

छ.ग.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

8/10/09